फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 116 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.2019	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी तहसीलदार सुजानगढ ने प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम न्यामा की जमाबन्दी संवत 2076–79 नया खाता खंख्या 389 में NHIA ग्राम न्यामा में खसरा नं. 22,23 में गुजरा है। जिसमें पटवारी व भू.अ.निरीक्षण ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है की खसरा नं. 22 का रकबा 4.10 बीघा एवं खसरा नं. 23 का रकबा 8.10 बीघा का रकबा सैटलमेन्ट से सहवन से गलत लिखा है। जिसमें NHIA के नामान्तरकरण दर्ज करने पर दिक्कत आ रही है। अतः जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.निरीक्षण के अनुसार खसरा नं. 22 का रकबा 4.10 बीघा एवं खसरा नं. 23 का रकबा 8.10 बीघा के बजाय खसरा नं. 23 का रकबा 4.10 बीघा एवं खसरा नं. 22 का रकबा 8.10 बीघा किया जाना उचित है। मौका एवं नक्शानुसार राजस्व रिकार्ड शुद्ध किया जाने के आदेश फरमावे। पूर्व में सम्वत् 2002 में पूर्व खसरा नं. 69 रकबा 13.00 बीघा था। अतः रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है ताकि NHIA के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जा सके। वादपत्र के साथ नजरी नक्शा , जमाबन्दी संवत् 2076–2079 , मिसल बन्दोबस्त संवत् 2002 , मिसल बन्दोबस्त संवत् 2028 पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा मिसल बन्दोबस्त संवत् 2002 , मिसल बन्दोबस्त संवत् 2028 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया मिसल बन्दोबस्त संवत् 2028 के अनुसार खसरा नं. 22 में 4 बीघा 10 बिश्वा व खसरा नं. 23 में 8 बीघा 10 बिश्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 22 का रकबा 4.10 बीघा एवं खसरा नं. 23 का रकबा 8.10 बीघा के बजाय खसरा नं. 23 का रकबा 4. 10 बीघा एवं खसरा नं. 22 का रकबा 8.10 बीघा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर खसरा नं. 22 का रकबा 4.10 बीघा एवं खसरा नं. 23 का रकबा 8.10 बीघा के बजाय खसरा नं. 23 का रकबा 4.10 बीघा एवं खसरा नं. 22 का रकबा 8.10 बीघा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/11/19 उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ	2019 00212

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar

Date: 2019.12.02 18:40:08 IST

Reason: SelfAttested